Ushr Ke Ahkaam (Hindi)

काश्तकारों के लिये एक राहनुमा तहरीर

उ़श्र के अह्काम

(ज़मीनी पैदावार की ज़कात के मसाइल)

- उ़श्र किसे कहते हैं ? 8
- उ़श्र देने की फ़ज़ीलत 8
- उ़श्र किस पैदावार पर वाजिब है ? 11
- उ़श्र कब और किसे दिया जाए ? 18, 22
- उ़श्र देने का त़रीक़ा 18
- दा'वते इस्लामी की झलकियां 29

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ़

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले ।

(المُستطرَف ج١ ص٤٠ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

क़ियामत के रोज़ ह़सरत

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा ह़सरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इ़ल्म ह़ासिल करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने ह़ासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इ़ल्म ह़ासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़्अ़ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इ़ल्म पर अ़मल न किया) । (تاریخ دمشق لابن عساکِر ج٥١ ص١٣٨ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की त़बाअ़त में नुमायां ख़राबी हो या सफ़ह़ात कम हों या बाइन्डिग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ़ फ़रमाइये ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला "**उ़श्र के अह़काम**"

मजलिसे **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ़ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लत़ी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, E-mail या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

हुरूफ़ की पहचान

फ = پھ	प = پ	भ = بھ	ब = ب	अ = ا
स = ث	ठ = ٹھ	ट = ٹ	थ = تھ	त = ت
ह़ = ح	छ = چھ	च = چ	झ = جھ	ज = ج
ढ = ڈھ	ड = ڈ	ध = دھ	द = د	ख़ = خ
ज़ = ژ	ढ़ = ڑھ	ड़ = ڑ	र = ر	ज़ = ذ
ज़ = ض	स = ص	श = ش	स = س	ज़ = ز
फ़ = ف	ग़ = غ	अ़ = ع	ज़ = ظ	त़ = ط
घ = گھ	ग = گ	ख = کھ	क = ک	क़ = ق
ह = ہ	व = و	न = ن	म = م	ल = ل
ई = اِی / ی	इ = اِ	ऐ = اَے	ए = ے	य = ی

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात

MO. 98987 32611 • E-mail : hindibook@dawateislamihind.net

काश्त कार इस्लामी भाइयों के लिये एक राहनुमा तह़रीर

ड़श्र के अह़काम

(ज़मीन की ज़कात के मसाइल)

पेशकश

मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

(शो 'बए इस्लाही कुतुब)

नाशिर

मक्तबतुल मदीना (अह़मदआबाद)

الصلوٰۃ والسلام علیک یارسول اللہ وعلٰی اٰلک واصحابک یاحبیب اللہ

जुम्ला हुक़ूक़ बह़क़्क़े नाशिर मह़फ़ूज़ हैं

नाम किताब : **उ़श्र के अह़काम** (ज़मीन की ज़कात के मसाइल)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या
(शो'बए इस्लाही़ कुतुब)

सिने त़बाअ़त : मई 2019 ई.

नाशिर : **मक्तबतुल मदीना अह़मदआबाद**

मक्तबतुल मदीना की मुख़्तलिफ़ शाख़ें

मुम्बई : 19, 20, मुह़म्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया मह़ल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपुर : मुह़म्मद अ़ली सराय रोड (C / 0) जामिअ़तुल मदीना, कमाल शाह बाबा दरगाह के पास, मोमिनपुरा, नागपूर फ़ोन : 0712 -2737290

अजमेर शरीफ़ : 19 / 216 फ़लाहे़ दारैन मस्जिद के क़रीब, नला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, : (0145) 2629385

हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्पलेक्स, A.J. मुढोल रोड, ब्रीज के पास, हुब्ली – 580024. फ़ोन : 09343268414

ह़ैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, ह़ैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या

अज़ : शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी

ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार**

क़ादिरी रज़वी ज़ियाई دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحۡسَانِہٖ وَ بِفَضۡلِ رَسُوۡلِہٖ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक ''**दा'वते इस्लामी**'' नेकी की दा'वत, एह़याए सुन्नत और इशाअ़ते इ़ल्मे शरीअ़त को दुन्या भर में आ़म करने का अ़ज़्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हु़स्नो ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअ़द्दद मजालिस का क़ियाम अ़मल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस ''**अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या**'' भी है जो दा'वते इस्लामी के उ़-लमा व मुफ़्तियाने किराम کَثَّرَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इ़ल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए ज़ैल छ⁶ शो'बे हैं :

(1) शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत
(2) शो'बए तराजिमे कुतुब
(3) शो'बए दर्सी कुतुब
(4) शो'बए इस्लाही़ कुतुब
(5) शो'बए तफ़्तीशे कुतुब
(6) शो'बए तख़्रीज

''**अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या**'' की अव्वलीन तरजीह़ सरकारे आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल बरकत, अ़ज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए़ रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, ह़ामिये सुन्नत, माहि़ये बिद्अ़त, आ़लिमे शरीअ़त, पीरे त़रीक़त, बाइ़से ख़ैरो बरकत, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अलहा़ज

www.dawateislami.net

अल ह़ाफ़िज़ अल क़ारी शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيۡهِ رَحۡمَةُ الرَّحۡمٰن की गिरां मायह तसानीफ़ को अ़स्रे ह़ाज़िर के तक़ाज़ों के मुत़ाबिक़ ह़त्तल वस्अ़ सहल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इ़ल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती मदनी काम में हर मुम्किन तआ़वुन फ़रमाएं और मजलिस की त़रफ़ से शाएअ़ होने वाली कुतुब का ख़ुद भी मुत़ालआ़ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरग़ीब दिलाएं।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ **"दा'वते इस्लामी"** की तमाम मजालिस ब शुमूल **"अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या"** को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक़्क़ी अ़त़ा फ़रमाए और हमारे हर अ़मले ख़ैर को ज़ेवरे इख़्लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़्रा शहादत, जन्नतुल बक़ीअ़ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

पेश लफ़्ज़

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो !

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ ! तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक "**दा 'वते इस्लामी**" की मजलिस "**अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या**" (शो'बए इस्लाह़ी कुतुब) की त़रफ़ से मुख़्तलिफ़ मौज़ूआ़त पर अब तक दरजनों किताबें और रसाइल अ़वामे अहले सुन्नत की ख़िदमत में पेश किये जा चुके हैं। फ़िल वक़्त फ़िक़्ही मौज़ूअ़ पर मुश्तमिल रिसाला "**उ़श्र के अह़काम** (पैदावारे ज़मीन की ज़कात के मसाइल)" आप के सामने है। इस मुख़्तसर रिसाले में उ़श्र से मुतअ़ल्लिक़ उन तमाम मसाइल का इह़ात़ा करने की कोशिश की गई है जिन की ज़रूरत काश्त कार इस्लामी भाइयों को पेश आ सकती है।

इस रिसाले को न सिर्फ़ ख़ुद पढ़िये बल्कि दूसरे इस्लामी भाइयों बिल ख़ुसूस ज़मीनदार इस्लामी भाइयों को इस के मुत़ालए़ की तरग़ीब दे कर सवाबे जारिया के मुस्तह़िक़ बनिये। **अल्लाह** तआ़ला से दुआ़ है कि हमें "**अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश**" करने के लिये मदनी इन्आ़मात पर अ़मल और मदनी क़ाफ़िलों का मुसाफ़िर बनते रहने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए और दा'वते इस्लामी की तमाम मजालिस ब शुमूल **मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या** को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक़्क़ी अ़त़ा फ़रमाए।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

शो 'बए इस्लाह़ी कुतुब (मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या)

नम्बर	उ़न्वान	सफ़ह़ा
1	उ़श्र का बयान	8
2	उ़श्र के फ़ज़ाइल	8
3	उ़श्र अदा न करने का वबाल	10
4	किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?	11
5	शह्द की पैदावार पर उ़श्र	13
6	किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब नहीं ?	13
7	उ़श्र वाजिब होने के लिये कम अज़् कम मिक़्दार	14
8	पागल और ना बालिग़ पर उ़श्र	14
9	क़र्ज़दार पर उ़श्र	15
10	शरई फ़क़ीर पर उ़श्र	15
11	उ़श्र के लिये साल गुज़रना शर्त़ है या नहीं ?	15
12	मुख़्तलिफ़ ज़मीनों का उ़श्र	16
13	ठेके की ज़मीनों का उ़श्र	16
14	अगर ख़ुद फ़स्ल न बोई तो उ़श्र किस पर है ?	17
15	मुश्तरिका ज़मीन का उ़श्र	17
16	घरेलू पैदावार पर उ़श्र	18
17	उ़श्र की अदाएगी से पहले अख़ राजात अलग करना	18
18	उ़श्र की अदाएगी	18

1	उ़श्र पेशगी अदा करना	19
2	फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से मुराद	19
3	पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?	19
4	उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर	20
5	उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल	20
6	उ़श्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?	21
7	उ़श्र में रक़म देना	21
8	अगर त़वील अ़र्से से उ़श्र अदा न किया हो तो ?	21
9	अगर फ़स्ल ही काश्त न की तो ?	21
10	फ़स्ल ज़ाएअ़ होने की सूरत में उ़श्र	22
11	उ़श्र किस को दिया जाए	22
12	जिन को उ़श्र नहीं दे सकते	25
13	इमामे मस्जिद को उ़श्र देना	26
14	ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल	27
15	रबीअ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल	27
16	दा'वते इस्लामी के साथ तआ़वुन कीजिये	28
17	दा'वते इस्लामी की झल्कियां	29

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत

रह़मते आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया: ऐ लोगो ! बेशक बरोज़े क़ियामत उस की दह्शतों और ह़िसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख़्स वोह होगा जिस ने तुम में से मुझ पर दुन्या के अन्दर ब कसरत दुरूद शरीफ़ पढ़े होंगे।"

(فردوس الاخبار، الحدیث ۸۲۱۰، ج ۲، ص ۴۷۱)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

उ़श्र का बयान

सुवाल : उ़श्र किसे कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन से नफ़्अ़ ह़ासिल करने की ग़रज़ से उगाई जाने वाली शै की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उ़श्र कहते हैं।

(الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوۃ، الباب السادس، ج ۱، ص ۱۸۵، ملخصاً)

सुवाल : ज़मीन की ज़कात को उ़श्र क्यूं कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन की पैदावार का उ़मूमन दसवां (1/10) ह़िस्सा बत़ौरे ज़कात दिया जाता है इस लिये इसे उ़श्र (या'नी दसवां ह़िस्सा) कहते हैं।

उ़श्र के फ़ज़ाइल

सुवाल : उ़श्र देने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब : उ़श्र की अदाएगी करने वालों को इन्आ़माते आख़िरत की बिशारत है जैसा कि क़ुरआने पाक में **अल्लाह** तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗۚ وَهُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ﴿۳۹﴾

(پ۲۲، سبا: ۳۹)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो चीज़ तुम **अल्लाह** की राह में ख़र्च करो वोह उस के बदले और देगा और वोह सब से बेहतर रिज़्क़ देने वाला।

सूरए बक़रह में है :

مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍؕ وَاللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۶۱﴾ اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًىۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۲﴾

(پ۳، البقرة: ۲۶۱، ۲۶۲)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : उन की कहावत जो अपने माल **अल्लाह** की राह में ख़र्च करते हैं उस दाने की त़रह़ जिस ने उगाईं सात बालीं। हर बाल में सो दाने और **अल्लाह** इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और **अल्लाह** वुस्अ़त वाला इ़ल्म वाला है वोह जो अपने माल **अल्लाह** की राह में ख़र्च करते हैं, फिर दिये पीछे न एह़सान रखें न तक्लीफ़ दें उन का नेग (इन्आ़म) उन के रब के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा हो न कुछ ग़म।

सरवरे आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने भी तरग़ीबे उम्मत के लिये कई मक़ामात पर राहे ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ में ख़र्च करने के कई फ़ज़ाइल बयान किये हैं : चुनान्चे

ह़ज़रते सय्यिदुना ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से मरवी है कि नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "ज़कात दे कर अपने मालों को मज़बूत़ क़ल्ओं में कर लो और अपने बीमारों का इ़लाज सदक़े से करो और बला नाज़िल होने पर दुआ़ व तज़र्रोअ़ (या'नी गिर्या व ज़ारी) से इस्तिआ़नत (या'नी मदद त़लब) करो।" (مراسیل ابی داؤد مع سنن ابی داؤد، باب فی الصائم، ص۸)

और ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है कि नबिय्ये पाक साहि़बे लौलाक, सय्याह़े अफ़्लाक صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''जिस ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक **अल्लाह** तआ़ला ने उस से शर दूर फ़रमा दिया।''

(المعجم الاوسط، باب الالف، الحدیث ۱۵۷۹، ج ۱، ص ۴۳۱)

उ़श्र अदा न करने का वबाल

सुवाल : उ़श्र अदा न करने का क्या वबाल है ?

जवाब : उ़श्र अदा न करने वाले के लिये कुरआाने पाक व अह़ादीसे मुबारका में सख़्त वई़दें आई हैं। चुनान्चे **अल्लाह** तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ یَبْخَلُوْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَیْرًا لَّهُمْؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْؕ سَیُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ یَوْمَ الْقِیٰمَةِؕ

(پ ۴، آل عمران: ۱۸۰)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो बुख़्ल करते हैं उस चीज़ में जो **अल्लाह** ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अ़न्क़रीब वोह जिस में बुख़्ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौ़क़ होगा।

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है कि मक्की मदनी सरकार, दो आ़लम के मालिको मुख़्तार صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''जिस को **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ माल दे और वोह उस की ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन वोह माल गन्जे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा जिस के सर पर दो चित्तियां होंगी (या'नी दो निशान होंगे), वोह सांप उस के गले में तौ़क़ बना कर डाल दिया जाएगा, फिर उस (ज़कात न देने वाले) की बाछें पकड़ेगा और कहेगा : मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं। इस के बा'द नबिय्ये पाक, साहि़बे लौलाक, सय्याह़े अफ़्लाक صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई :

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो बुख़्ल करते हैं उस चीज़ में जो **अल्लाह** ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अन्क़रीब वोह जिस में बुख़्ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौक़ होगा।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

(پ۴، آل عمران:۱۸۰)

(صحیح البخاری، کتاب الزکوۃ، باب اثم مانع الزکوۃ، الحدیث۱۴۰۳، ج۱، ص۴۷۴)

ह़ज़रते सय्यिदुना बुरीदा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है कि सरकारे मदीना, राह़ते क़ल्बो सीना صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''जो क़ौम ज़कात न देगी **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उसे क़ह़त़ में मुब्तला फ़रमाएगा।''

(المعجم الاوسط، الحدیث ۴۵۷۷، ج۳، ص ۲۷۵)

ह़ज़रते सय्यिदुना अमीरुल मुअमिनीन उ़मर फ़ारूके़ आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम, रउफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''ख़ुश्की व तरी में जो माल तलफ़ होता है, वोह ज़कात न देने की वज्ह से तलफ़ होता है।''

(کنز العمال، کتاب الزکوۃ، الفصل الثانی فی ترہیب مانع الزکوۃ، الحدیث۱۵۸۰۳، ج۶، ص۱۳۱)

किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

सुवाल : ज़मीन की किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

जवाब : जो चीजे़ं ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़्अ़ ह़ासिल करना मक़्सूद हो ख़्वाह वोह ग़ल्ला, अनाज और फल फ्रूट हों या सब्ज़ियां वग़ैरा मसलन अनाज और ग़ल्ला में गन्दुम, जव, चावल, गन्ना, कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, और सूरज मुखी, राई, सरसों और लोसन वग़ैरा।

फलों में ख़रबूज़ा, आम, अमरूद, मालटा, लोकाट, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संगतरा, पपीता, और नारियल, तरबूज़, फ़ाल्सा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ूबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा वग़ैरा।

सब्ज़ियों में ककड़ी, टींडा, करेला, भिन्डी तूरी, आलू, टमाटर, घियातूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी, तोरिया, फूल गोभी, बन्द गोभी, शलग़म, गाजर, चुक़न्दर, मटर, पियाज़, लह्सन, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के साग और मेथी और बैंगन वग़ैरा।[1] इन सब की पैदावार में से उ़श्र (या'नी दसवां हि़स्सा) या निस्फ़ उ़श्र (या'नी बीसवां हि़स्सा) वाजिब है।

(الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوۃ، الباب السادس، ج۱، ص۱۸۶)

अल्लाह तआ़ला ने **सूरतुल अन्आ़म** में फ़रमाया :

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ یَوْمَ حَصَادِهٖ (پ۸، الانعام:۱۴۱)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : खेती कटने के दिन उस का ह़क़ अदा करो।

इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवानए शम्ए़ रिसालत, अश्शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحمَۃُ الرَّحْمٰن लिखते हैं कि अक्सर मुफ़स्सिरीन मसलन हज़रत इब्ने अ़ब्बास, त़ाऊस, ह़सन, जाबिर बिन ज़ैद और सई़द बिन मुसय्यब رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم के नज़्दीक इस ह़क़ से मुराद **उ़श्र** है। (फ़तावा रज़विय्या जदीद, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 65)

नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "हर उस शै में जिसे ज़मीन ने निकाला, (उस में) उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र है।" (کنز العمال، کتاب الزکوۃ، باب زکوۃ النبات والفواکہ، الحدیث ۱۵۸۷۳، ج۶، ص۱۴۰)

मदीना

1 : मौसिम के ए'तिबार से फ़स्लों, फलों और सब्ज़ियों की तफ़्सील स. 27 पर मुलाह़ज़ा फ़रमाएं।

ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ बयान करते हैं कि रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जिन ज़मीनों को दरिया और बारिश सैराब करे उन में उ़श्र (दसवां ह़िस्सा देना वाजिब) है और जो ज़मीनें ऊंट के ज़रीए सैराब की जाएं उन में निस्फ़ उ़श्र (बिसवां ह़िस्सा वाजिब) है।"

(صحیح مسلم،کتاب الزکوۃ،باب مافیہ العشر اونصف العشر ،الحدیث۹۸۱،ص۴۸۸)

सुवाल : निस्फ़ उ़श्र से क्या मुराद है ?

जवाब : निस्फ़ उ़श्र से मुराद बीसवां ह़िस्सा 1/20 है।

(बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 5, स. 15)

शह्द की पैदावार पर उ़श्र

सुवाल : उ़श्री ज़मीन में जो शह्द पैदा हो क्या उस पर भी उ़श्र देना पड़ेगा ?

जवाब : जी हां। (الفتاوی الھندیہ،کتاب الزکاۃ،الباب السادس،ج۱ص۱۸۶)

किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब नहीं ?

सुवाल : किन फ़स्लों पर उ़श्र वाजिब नहीं ?

जवाब : जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़्अ़ ह़ासिल करना मक़्सूद न हो उन में उ़श्र नहीं जैसे ईंधन, घास, बेद, सरकन्डा, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं), खजूर के पत्ते वग़ैरा, इन के इलावा हर क़िस्म की तरकारियों और फलों के बीज कि इन की खेती से तरकारियां मक़्सूद होती हैं बीज मक़्सूद नहीं होते और जो बीज दवा के त़ौर पर इस्ति'माल होते हैं मसलन कुन्दुर, मेथी और कलौंजी वग़ैरा के बीज, उन में भी उ़श्र नहीं है। इसी त़रह़ वोह चीज़ें जो

ज़मीन के ताबेअ़ हों जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गोंद, उस में उ़श्र वाजिब नहीं।

अलबत्ता अगर घास, बेद, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं) वग़ैरा से ज़मीन के मनाफ़ेअ़ ह़ासिल करना मक़्सूद हो और ज़मीन इन के लिये खाली छोड़ दी तो इन में भी उ़श्र वाजिब है। कपास और बैंगन के पौदों में उ़श्र नहीं मगर इन से ह़ासिल कपास और बैंगन की पैदावार में उ़श्र है।

(در مختار، کتاب الزکوۃ، باب العشر، ج۳ ص۳۱۵، الفتاوی الھندیۃ، کتاب الزکوۃ، الباب السادس فی زکوۃ الزرع، ج۱، ص۱۸۶)

उ़श्र वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक़्दार

सुवाल : उ़श्र वाजिब होने के लिये ग़ल्ला, फल और सब्ज़ियों की कम अज़ कम कितनी मिक़्दार होना ज़रूरी है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिये इन की कोई मिक़्दार मुक़र्रर नहीं है बल्कि ज़मीन से ग़ल्ला, फल और सब्ज़ियों की जितनी पैदावार भी ह़ासिल हो उस पर उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र देना वाजिब होगा।

(الفتاوی الھندیۃ، المرجع السابق)

पागल और ना बालिग़ पर उ़श्र

सुवाल : अगर इन की पैदावार का मालिक पागल और ना बालिग़ हो तो उस को भी उ़श्र देना होगा ?

जवाब : उ़श्र चूंकि ज़मीन की पैदावार पर अदा किया जाता है लिहाज़ा जो भी इस पैदावार का मालिक होगा वोह उ़श्र अदा करेगा चाहे वोह मज्नून (या'नी पागल) और ना बालिग़ ही क्यूं न हो।

(الفتاوی الھندیۃ، کتاب الزکوۃ، الباب السادس فی زکوۃ الزرع، ج۱، ص۱۸۵، ملخصاً)

क़र्ज़दार पर उ़श्र

सुवाल : क्या क़र्ज़दार को उ़श्र मुआ़फ़ है ?

जवाब : क़र्ज़दार से उ़श्र मुआ़फ़ नहीं, इस लिये अगर क़र्ज़ ले कर ज़मीन ख़रीदी हो या काश्त कार पहले से मक़रूज़ हो या क़र्ज़ ले कर काश्त कारी की हो इन सब सूरतों में क़र्ज़दार पर भी उ़श्र वाजिब है।''

(الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب العشر، ج۳،ص۳۱۴)

अ़ल्लामा आ़लिम बिन अ़ला अल अन्सारी رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं कि ''ज़कात के बर ख़िलाफ़ उ़श्र मक़रूज़ पर भी वाजिब होता है।''

(فتاوی تاتارخانیہ، کتاب العشر، ج۲،ص۳۳۰)

शरई फ़क़ीर पर उ़श्र

सुवाल : क्या शरई फ़क़ीर पर भी उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : जी हां, शरई फ़क़ीर पर भी उ़श्र वाजिब है क्यूं कि उ़श्र वाजिब होने का सबब ज़मीने नामी (या'नी क़ाबिले काश्त) से ह़क़ीक़तन पैदावार का होना है, इस में मालिक के ग़नी या फ़क़ीर होने का कोई ए'तिबार नहीं। (ماخوذ من العنایۃ والکفایۃ، کتاب الزکوۃ، باب زکاۃ الزروع، ج۲،ص۱۸۸)

उ़श्र के लिये साल गुज़रना शर्त़ है या नहीं ?

सुवाल : क्या उ़श्र वाजिब होने के लिये साल गुज़रना शर्त़ है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिये पूरा साल गुज़रना शर्त़ नहीं बल्कि साल में एक ही खेत में चन्द बार पैदावार हुई तो हर बार उ़श्र वाजिब है। (الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب العشر، ج۳،ص۳۱۳)

मुख़्तलिफ़ ज़मीनों का उ़श्र

सुवाल : मुख़्तलिफ़ ज़मीनों को सैराब करने के लिये अलग अलग त़रीक़े इस्ति'माल किये जाते हैं, तो क्या हर क़िस्म की ज़मीन में उ़श्र (या'नी दसवां ह़िस्सा ही) वाजिब होगा ?

जवाब : इस सिल्सिले में क़ाइ़दा येह है कि

☆ जो खेत बारिश, नह्र, नाले के पानी से (क़ीमत अदा किये बिग़ैर) सैराब किया जाए, उस में उ़श्र या'नी दसवां ह़िस्सा वाजिब है,

☆ जिस खेत की आबपाशी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वग़ैरा से हो, उस में निस्फ़ उ़श्र या'नी बीसवां ह़िस्सा वाजिब है,

☆ अगर (नह्र या ट्यूब वेल वग़ैरा का) पानी ख़रीद कर आबपाशी की हो या'नी वोह पानी किसी की मिल्किय्यत है उस से ख़रीद कर आबपाशी की, जब भी निस्फ़ उ़श्र वाजिब है,

☆ अगर वोह खेत कुछ दिनों बारिश के पानी से सैराब कर दिया जाता है और कुछ दिन डोल (या अपने ट्यूब वेल) वग़ैरा से, तो अगर अक्सर बारिश के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वग़ैरा से तो उ़श्र वाजिब है वरना निस्फ़ उ़श्र वाजिब है । (درمختار وردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب العشر، ج٣،ص٣١٦)

ठेके की ज़मीनों का उ़श्र

सुवाल : क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ?

जवाब : जी हां, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ।

सुवाल : येह उ़श्र कौन अदा करेगा ?

जवाब : इस उ़श्र की अदाएगी काश्त कार पर वाजिब होगी ।

(ردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب العشر، ج٣،ص٣١٤)

अगर ख़ुद फ़स्ल न बोई तो उ़श्र किस पर है ?

सुवाल : अगर ज़मीन का मालिक ख़ुद खेतीबाड़ी में ह़िस्सा न ले बल्कि मुज़ारिओं से काम ले तो उ़श्र मुज़ारेअ़ पर होगा या मालिके ज़मीन पर ?

जवाब : इस सिल्सिले में देखा जाएगा कि

अगर मुज़ारेअ़ से मुराद वोह है जो ज़मीन बटाई पर लेता है या'नी पैदावार में से आधा या तीसरा ह़िस्सा वग़ैरा मालिके ज़मीन का और बक़िय्या मुज़ारेअ़ का हो तो इस सूरत में दोनों पर उन के ह़िस्से के मुत़ाबिक़ उ़श्र वाजिब होगा सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह, मौलाना अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه **बहारे शरीअ़त** में फ़रमाते हैं, "उ़श्री ज़मीन बटाई पर दी तो उ़श्र दोनों पर है।" (बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 5, स. 54)

और अगर मुज़ारेअ़ से मुराद वोह है कि जिस को मालिके ज़मीन ने ज़मीन इजारे पर दी मसलन फ़ी एकड़ पचास हज़ार रुपिया तो इस सूरत में उ़श्र मुज़ारेअ़ पर होगा मालिके ज़मीन पर नहीं।

(ماخوذاز بدائع الصنائع، ج۲،ص۸۴)

मुश्तरिका ज़मीन का उ़श्र

सुवाल : जो ज़मीन किसी की मुश्तरिका मिल्किय्यत हो तो उ़श्र कौन अदा करेगा ?

जवाब : उ़श्र की अदाएगी में ज़मीन का मालिक होना शर्त़ नहीं है बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त़ है इस लिये जो जितनी पैदावार का मालिक होगा वोह उस पैदावार का उ़श्र अदा करेगा। **फ़तावा शामी** में है कि "उ़श्र वाजिब होने के लिये ज़मीन का मालिक होना शर्त़ नहीं बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त़ है क्यूं कि उ़श्र पैदावार पर वाजिब होता है न कि ज़मीन पर, और ज़मीन का मालिक होना या न होना दोनों बराबर है।" (ردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب العشر، ج۳،ص۳۱۴)

घरेलू पैदावार पर उ़श्र

सुवाल : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो उस पर उ़श्र होगा या नहीं ?

जवाब : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो, उस में उ़श्र वाजिब नहीं है। (الدرالمختار، کتاب الزکوۃ، مطلب مھم فی حکم اراضی مصر والشام السلطانیۃ، ج۳،ص۳۲۰)

उ़श्र की अदाएगी से पहले अख़राजात अलग करना

सुवाल : क्या उ़श्र कुल पैदावार से अदा किया जाएगा या अख़राजात वग़ैरा निकाल कर बक़िय्या पैदावार से अदा किया जाएगा ?

जवाब : जिस पैदावार में उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र वाजिब हो, उस में कुल पैदावार का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़िराअ़त, हल, बैल, ह़िफ़ाज़त करने वाले और काम करने वालों की उजरत या बीज, खाद और अदवियात वग़ैरा के अख़राजात निकाल कर बाक़ी का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र दिया जाए।

(الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکوۃ، مطلب مھم فی حکم اراضی مصر والشام السلطانیۃ، ج۳،ص۳۱۷)

सुवाल : हु़कूमत को जो माल गुज़ारी दी जाती है क्या उसे भी पैदावार से नहीं निकाला जाएगा ?

जवाब : जी नहीं, उस माल गुज़ारी को भी पैदावार से अलग नहीं किया जाएगा बल्कि उसे भी शामिल कर के उ़श्र का ह़िसाब लगाया जाएगा।

उ़श्र की अदाएगी

सुवाल : उ़श्र कब अदा करना होगा ?

जवाब : जब पैदावार ह़ासिल हो जाए या'नी फ़स्ल पक जाए या फल निकल आएं और नफ़्अ़ उठाने के क़ाबिल हो जाएं तो उ़श्र वाजिब हो जाएगा। फ़स्ल काटने या फल तोड़ने के बा'द ह़िसाब लगा कर उ़श्र अदा करना होगा। (الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب العشر، مطلب مھم فی حکم اراضی.....الخ، ج۳،ص۳۲۱)

उ़श्र पेश्गी अदा करना

सुवाल : क्या उ़श्र पेश्गी त़ौर पर अदा किया जा सकता है ?

जवाब : इस की चन्द सूरतें हैं :

(1) जब खेती तय्यार हो जाए तो उस का उ़श्र पेश्गी देना जाइज़ है।

(2) खेती बोने और ज़ाहिर होने के बा'द अदा किया तो भी जाइज़ है।

(3) अगर बोने के बा'द और ज़ाहिर होने से पहले अदा किया तो अज़्हर (या'नी ज़ियादा ज़ाहिर) येह है कि पेश्गी अदा करना जाइज़ नहीं।

(4) फलों के ज़ाहिर होने से पहले दिया तो पेश्गी देना जाइज़ नहीं और ज़ाहिर होने के बा'द दिया तो जाइज़ है। (فتاوی عالمگیری، کتاب الزکاۃ، ج۱، ص۱۸۶)

मदीना : अगर्चे ज़िक्र की गई बा'ज़ सूरतों में पेश्गी उ़श्र अदा करना जाइज़ है लेकिन अफ़्ज़ल येह है कि पैदावार ह़ासिल होने के बा'द उ़श्र अदा किया जाए। (البحر الرائق، کتاب الزکوۃ، ج۲، ص۳۹۲)

फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से मुराद

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से क्या मुराद है ?

जवाब : इस से मुराद येह है कि खेती इतनी तय्यार हो जाए और फल इतने पक जाएं कि उन के ख़राब होने या सूख जाने वग़ैरा का अन्देशा न रहे अगर्चे तोड़ने या काटने के क़ाबिल न हुए हों।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 241)

पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने के बा'द फल बेचे तो उ़श्र बेचने वाले पर होगा या खरीदने वाले पर ?

जवाब : ऐसी सूरत में उ़श्र बेचने वाले पर होगा।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 241)

उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर

सुवाल : उ़श्र अदा करने में ताख़ीर करना कैसा ?

जवाब : उ़श्र पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जो अह़काम ज़कात की अदाएगी के हैं, वोही अह़काम उ़श्र की अदाएगी के भी हैं। इस लिये बिग़ैर मजबूरी के इस की अदाएगी में ताख़ीर करने वाला गुनहगार है और उस की शहादत (या'नी गवाही) मक़्बूल नहीं।

(الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوۃ، الباب الاول، ج۱، ص۱۷۰)

सुवाल : अगर कोई उ़श्र वाजिब होने के बा वुजूद अदा न करे तो क्या करना चाहिये ?

जवाब : जो ख़ुशी से उ़श्र न दे तो बादशाहे इस्लाम जब्रन (या'नी ज़बर दस्ती) उस से उ़श्र ले सकता है और इस सूरत में भी उ़श्र अदा हो जाएगा मगर सवाब का मुस्तह़िक़ नहीं और ख़ुशी से अदा करे तो सवाब का मुस्तह़िक़ है।" (الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوۃ، الباب السادس فی زکوۃ الزرع والثمار، ج۱، ص۱۸۵)

मदीना : याद रहे कि ज़बर दस्ती उ़श्र वुसूल करना बादशाहे इस्लाम ही का काम है आ़म लोगों को येह इख़्तियार ह़ासिल नहीं है। ऐसी सूरते ह़ाल में उसे उ़श्र अदा करने की तरग़ीब दी जाए और रब तआ़ला की नाराज़गी का एह़सास दिलाया जाए। ऐसे लोगों को येह रिसाला पढ़ने के लिये तोह़फ़तन पेश करना भी बेह़द मुफ़ीद होगा, اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ ।

उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल

सुवाल : क्या उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार इस्ति'माल कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : जब तक उ़श्र अदा न कर दे या पैदावार से उ़श्र अलग न कर ले, उस वक़्त तक पैदावार में से कुछ भी इस्ति'माल करना जाइज़ नहीं

और अगर इस्ति'माल कर लिया तो उस में जो उ़श्र की मिक्दार बनती है उतना तावान अदा करे अलबत्ता थोड़ा सा इस्ति'माल कर लिया तो मुआ़फ़ है । (الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکاۃ، مطلب مھم فی حکم اراضی مصرالخ، ج۳،ص۳۲۱،۳۲۲)

उ़श्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?

सुवाल : जिस पर उ़श्र वाजिब हो और वोह फ़ौत हो जाए और पैदावार भी मौजूद है तो क्या उस में से उ़श्र दिया जाएगा ?

जवाब : ऐसी सूरत में अगर पैदावार मौजूद हो तो उस पैदावार में से उ़श्र दिया जाएगा । (الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوۃ، الباب السادس فی زکاۃ الزرع، ج۱،ص۱۸۵)

उ़श्र में रक़म देना

सुवाल : क्या उ़श्र में सिर्फ़ पैदावार ही देनी होगी या उस की क़ीमत भी दी जा सकती है ?

जवाब : मौजूदा फ़स्ल में से जिस क़दर ग़ल्ला या फल हों उन का पूरा उ़श्र अ़लाह़दा करे या उस की पूरी क़ीमत (बत़ौरे उ़श्र) दे, दोनों त़रह़ से जाइज़ है । (अल फ़तावल मुस्तफ़विय्या, स. 298)

अगर त़वील अ़र्से से उ़श्र अदा न किया हो तो ?

सुवाल : अगर कई साल उ़श्र अदा न किया तो क्या किया जाए ?

जवाब : उ़श्र की अ़दमे अदाएगी पर तौबा करे और साबिक़ा सालों के उ़श्र का ह़िसाब लगा कर ब क़दरे इस्तित़ाअ़त अदा करता रहे ।

(माख़ूज़ अज़ अल फ़तावल मुस्तफ़विय्या, स. 298)

अगर फ़स्ल ही काश्त न की तो ?

सुवाल : अगर ज़िराअ़त पर क़ादिर होने के बा वुजूद किसी ने फ़स्ल काश्त नहीं की तो क्या इस सूरत में भी उस पर उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : अगर किसी ने ज़िराअ़त पर क़ादिर होने के बा वुजूद फ़स्ल काश्त नहीं की तो पैदावार न होने की बिना पर उस पर उ़श्र की अदाएगी

वाजिब नहीं क्यूं कि उ़श्र ज़मीन पर नहीं उस की पैदावार पर वाजिब होता है ।
(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب العشر، ج۳، ص۳۲۳)

फ़स्ल ज़ाएअ़ होने की सूरत में उ़श्र

सुवाल : अगर किसी वज्ह से फ़स्ल ज़ाएअ़ हो गई तो उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : खेत बोया मगर पैदावार ज़ाएअ़ हो गई मसलन खेती डूब गई या जल गई या सर्दी और लू से जाती रही तो इन सब सूरतों में उ़श्र साक़ित़ है, जब कि कुल जाती रही और अगर कुछ बाक़ी है तो उस बाक़ी का उ़श्र लेंगे और अगर जानवर खा गए तो (उ़श्र) साक़ित़ नहीं और (उ़श्र) साक़ित़ होने के लिये येह भी शर्त़ है कि इस के बा'द उस साल के अन्दर उस में दूसरी ज़िराअ़त तय्यार न हो सके और येह भी शर्त़ है कि तोड़ने या काटने से पहले हलाक हो वरना साक़ित़ नहीं ।
(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب العشر، ج۳، ص۳۲۳)

उ़श्र किस को दिया जाए

सुवाल : उ़श्र किसे दिया जाए ?

जवाब : उ़श्र चूंकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है, इस लिये जिन को ज़कात दी जा सकती है उन को उ़श्र भी दिया जा सकता है ।
(الفتاوی الخانیہ، کتاب الزکوۃ، فصل فی العشر فی ما یخرجہ الارض، ج۱، ص۱۳۲)

इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है :

(1) फ़क़ीर (2) मिस्कीन (3) आ़मिल (4) रिक़ाब (5) ग़ारिम (6) फ़ी सबीलिल्लाह (7) इब्नुस्सबील या'नी मुसाफ़िर ।

(الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوۃ، الباب السابع فی المصارف، ج۱، ص۱۸۷)

वज़ाह़त

फ़क़ीर : वोह जो मालिके निसाब न हो । मालिके निसाब होने से मुराद येह है कि उस शख़्स के पास साढ़े सात तोले सोना, या साढ़े बावन तोले

चांदी, या इतनी मालिय्यत की रक़म, या इतनी मालिय्यत का माले तिजारत हो, या इतनी मालिय्यत का ज़रूरियाते ज़िन्दगी से ज़ाइद सामान हो और उस पर **अल्लाह** तआ़ला या बन्दों का इतना क़र्ज़ न हो कि जिसे अदा कर के ज़िक्र कर्दा निसाब बाक़ी न रहे ।

(الفتاویٰ الھندیہ، کتاب الزکوۃ، الباب السابع فی المصارف، ج۱، ص۱۸۷)

मदीना : ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन की उ़मूमन इन्सान को ज़रूरत होती है और इन के बिग़ैर गुज़र अवक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी मह़सूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इ़ल्मे दीन से मुतअ़ल्लिक़ किताबें और पेशे से मुतअ़ल्लिक़ औज़ार वग़ैरा । **अल्लाह** तआ़ला के क़र्ज़ से मुराद साबिक़ा ज़कात या क़ुरबानी वाजिब होने के बा वुजूद न करने की सूरत में जानवर की क़ीमत सदक़ा करना है ।

मिस्कीन : वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि वोह खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोह़ताज है कि लोगों से सुवाल करे ।

(المرجع السابق)

आ़मिल : वोह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उ़श्र वुसूल करने के लिये मुक़र्रर किया हो । (المرجع السابق، ص۱۸۸)

मदीना : सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه **बहारे शरीअ़त** में फ़रमाते हैं कि "आ़मिल अगर्चे ग़नी हो अपने काम की उजरत ले सकता है और हाशिमी हो तो उस को माले ज़कात में से देना भी ना जाइज़ और उसे लेना भी ना जाइज़, हां अगर किसी और मद (या'नी ज़िम्न) में दें तो लेने में ह़रज नहीं ।" (लेकिन फ़ी ज़माना शरई आ़मिल मौजूद नहीं हैं) (बहारे शरीअ़त, हि़स्सा : 5, स. 57)

रिक़ाब : से मुराद मुकातब ग़ुलाम है । मुकातब उस ग़ुलाम को कहते हैं

जिस से उस के आक़ा ने उस की आज़ादी के लिये कुछ क़ीमत अदा करना तै़ की हो। फ़ी ज़माना रिक़ाब मौजूद नहीं। (अल मर्जउ़स्साबिक़)

ग़ारिम : से मुराद मक़रूज़ है या'नी उस पर इतना क़र्ज़ हो कि उसे निकालने के बा'द ज़कात का निसाब बाक़ी न रहे अगर्चे इस का दूसरों पर क़र्ज़ बाक़ी हो मगर लेने पर कु़दरत न रखता हो।

(الدرالمختار مع ردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب المصرف، ج۳، ص۳۳۹)

फ़ी सबीलिल्लाह : या'नी राहे खु़दा عَزَّوَجَلَّ में ख़र्च करना, इस की चन्द सूरतें हैं।

(1) कोई शख़्स मोह़ताज है और येह जिहाद में जाना चाहता है उस के पास सुवारी और ज़ादे राह नहीं हैं तो उसे माले ज़कात दे सकते हैं कि येह राहे खु़दा عَزَّوَجَلَّ में देना है अगर्चे वोह कमाने पर क़ादिर हो।

(2) कोई ह़ज के लिये जाना चाहता है और उस के पास ज़ादे राह नहीं उस को ज़कात दे सकते हैं लेकिन उसे ह़ज के लिये लोगों से सुवाल करना जाइज़ नहीं।

(3) त़ालिबे इ़ल्म, इ़ल्मे दीन पढ़ता है या पढ़ना चाहता है उस को भी दे सकते हैं कि येह राहे खु़दा عَزَّوَجَلَّ में ख़र्च करना है बल्कि त़ालिबे इ़ल्म सुवाल कर के भी माले ज़कात ले सकता है अगर्चे वोह कमाने पर कु़दरत रखता हो।

(4) इसी त़रह़ हर नेक काम में माले ज़कात इस्ति'माल करना फ़ी सबीलिल्लाह या'नी **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की राह में ख़र्च करना है। माले ज़कात (और उ़श्र) में दूसरे को मालिक कर देना ज़रूरी है, बिग़ैर मालिक किये ज़कात अदा नहीं हो सकती। (الدرالمختار، کتاب الزکوۃ، باب المصرف، ج۳، ص۳۳۵)

इब्ने सबील : या'नी वोह मुसाफ़िर (यहां मुसाफ़िर से मुराद शरई मुसाफ़िर है और शरई मुसाफ़िर वोह है जो तक़रीबन 92 किलो मीटर सफ़र करने का इरादा रखता हो) जिस के पास सफ़र की ह़ालत में माल न रहा, येह ज़कात

ले सकता है अगर्चे इस के घर में माल मौजूद हो मगर उसी क़दर ले जिस से उस की ज़रूरत पूरी हो जाए, ज़ियादा की इजाज़त नहीं।

(الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوۃ، الباب السابع فی المصارف، ج۱، ص۱۸۸)

मदीना (1) : सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ **बहारे शरीअ़त** में फ़रमाते हैं कि "जिन लोगों की निस्बत येह बयान किया गया कि उन्हें ज़कात दे सकते हैं उन सब का फ़क़ीर होना शर्त़ है सिवाए आ़मिल के कि इस के लिये फ़क़ीर होना शर्त़ नहीं और इब्नुस्सबील (मुसाफ़िर) अगर्चे ग़नी हो उस वक़्त फ़क़ीर के हुक्म में है बाक़ी किसी को जो फ़क़ीर न हो ज़कात नहीं दे सकते।"

(बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 5, स. 63)

मदीना (2) : ज़कात देने वाले को इख़्तियार होता है कि चाहे तो उ़श्र को इन तमाम अफ़राद में थोड़ा थोड़ा तक़्सीम कर दे और अगर चाहे तो किसी एक ही को दे दे। अगर माले ज़कात इतना है कि ब क़दरे निसाब नहीं है तो एक ही शख़्स को दे देना अफ़्ज़ल है और अगर ब क़दरे निसाब है तो एक ही शख़्स को दे देना मक्रूह है, लेकिन ज़कात बहर ह़ाल अदा हो जाएगी। हां अगर वोह शख़्स ग़ारिम या'नी क़र्ज़दार है तो उस को इतना दे देना कि क़र्ज़ निकाल कर कुछ न बचे या निसाब से कम बचे, बिला कराहत जाइज़ है। (बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 5, स. 59)

जिन को उ़श्र नहीं दे सकते

सुवाल : वोह कौन से लोग हैं जिन को उ़श्र नहीं दे सकते ?

जवाब : उ़श्र चूंकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जिन को ज़कात नहीं दे सकते उन को उ़श्र भी नहीं दे सकते। मसलन

(1) बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते चाहे देने वाला हाशिमी हो या ग़ैरे हाशिमी। बनी हाशिम से मुराद ह़ज़रते अ़ली व जा'फ़र व अ़क़ील और ह़ज़रते अ़ब्बास व ह़ारिस बिन अ़ब्दुल मुत्त़लिब की औलाद हैं। (बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 5, स. 63)

(2) अपनी अस्ल या'नी मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, वग़ैरा जिन की औलाद में येह (या'नी ज़कात देने वाला) है और अपनी औलाद मसलन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी वग़ैरा को ज़कात नहीं दे सकते। (ردالمحتار، کتاب الزکوۃ، باب المصرف، ج۳، ص۳۴۴)

(3) मियां बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसी त़रह़ अगर शोहर त़लाक़ दे चुका हो और औ़रत इ़द्दत में हो तो शोहर उसे ज़कात नहीं दे सकता और अगर इ़द्दत गुज़र चुकी हो तो ज़कात दे सकता है।

(الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکاۃ، باب المصرف، ج۳، ص۳۴۵)

इमामे मस्जिद को उ़श्र देना

सुवाल : क्या इमामे मस्जिद को उ़श्र दिया जा सकता है ?

जवाब : इमाम साह़िब अगर शरई फ़क़ीर न हों या सय्यिद साह़िब हों तो उन को उ़श्र नहीं दिया जा सकता और अगर वोह शरई फ़क़ीर हों और सय्यिद ज़ादे न हों तो उस को उ़श्र दिया जा सकता है बल्कि अगर वोह आ़लिम हों तो उन्हीं को देना अफ़्ज़ल है। मगर आ़लिम को देते वक़्त इस बात का लिह़ाज़ रखा जाए कि उस का एह़तिराम पेशे नज़र हो और देने वाला अदब के साथ दे जैसे छोटे बड़ों को कोई चीज़ नज़्र करते हैं और مَعَاذَ اللہ عَزَّوَجَلَّ आ़लिमे दीन को देते वक़्त अगर ह़क़ारत दिल में आई तो येह हलाकत बल्कि बहुत बड़ी हलाकत है। (बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 5, स. 63)

फ़तावा आ़लमगीरी में है कि ''फ़क़ीर आ़लिम पर सदक़ा करना जाहिल फ़क़ीर पर सदक़ा करने से अफ़्ज़ल है।''

(الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوۃ، الباب السابع فی المصارف، ج۱، ص۱۸۷)

सुवाल : इमामे मस्जिद को बत़ौरे उजरत उ़श्र देना कैसा ?

जवाब : इमामे मस्जिद को (ह़ीलए शरई के बिग़ैर) बत़ौरे उजरत उ़श्र देना जाइज़ नहीं क्यूं कि मस्जिद मसारिफ़े ज़कात में से नहीं है और उ़श्र के अह़काम वोही हैं जो ज़कात के हैं।

(ماخوذ من الفتاوی الھندیۃ، کتاب الزکوۃ، الباب السابع فی المصارف، ج۱، ص۱۸۸)

मदीना : फ़ुक़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی **ज़कात (व उ़श्र) का शरई ह़ीला** करने का त़रीक़ा यूं इर्शाद फ़रमाते हैं, कि **फ़क़ीर** को (ज़कात की रक़म का) मालिक कर दें और वोह (ता'मीरे मस्जिद वग़ैरा में) सर्फ़ करे, इस त़रह़ सवाब दोनों को होगा। (ردالمحتار ج۳ص۳۴۳)

मज़ीद तफ़्सील के लिये रिसाला "क़ज़ा नमाज़ों का त़रीक़ा" अज़ अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी مَدَّظِلُّهُ الْعَالِی का मुत़ालआ़ करें।

ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

ख़रीफ़ : इस से मुराद मौसिमे गर्मा की फ़स्लें हैं जिन की काश्त मौसिमे गर्मा के आग़ाज़ में मार्च ता जून जब कि कटाई मौसिमे गर्मा के इख़्तिताम और ख़ज़ां में अगस्त ता नवम्बर होती है।

ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें :

कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, कमाद (या'नी गन्ना) और सूरज मुखी ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें हैं दालों में दाल मूंग, दाल माश और लोबिया ख़रीफ़ में काश्त होती हैं।

सब्ज़ियां: गर्मियों में कद्दू शरीफ़, टींडा (टिन्डा), करेला, भीन्डी तूरी, आलू, टमाटर, घिया तूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी शामिल हैं।

फल : मौसिमे गर्मा में ख़रबूज़ा, तरबूज़, आम, फ़ाल्सा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ूबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुख़ारा, गर्मा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा शामिल हैं।

रबीअ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

रबीअ़ : इस से मुराद मौसिमे सर्मा की फ़स्लें हैं जिन की काश्त मौसिमे सर्मा के आग़ाज़ में अक्तूबर से दिसम्बर तक होती है और कटाई मौसिमे सर्मा के इख़्तिताम और मौसिमे बहार में जनवरी ता अप्रेल होती है।

रबीअ़ की अहम फ़स्लें :

रबीअ़ की अहम फ़स्लों में गन्दुम, चना, जव, बरसीम, तोरिया, राई, सरसों और लूसन हैं दालों में मसूर की दाल रबीअ़ की अहम फ़स्ल है।

सब्ज़ियां : फूल गोभी, बन्द गोभी, शलग़म, गाजर, चुक़न्दर, मटर, पियाज़, लह्सन, मूली, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के साग और मेथी शामिल हैं।

फल : रबीअ़ के फलों में माल्टा, लोकाट, बेर, अमरूद, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, आमलोक (जापानी फल), संगतरा, पपीता, और नारियल शामिल हैं। उ़मूमन शह्द भी रबीअ़ की फ़स्ल के साथ ही ह़ासिल किया जाता है।

दा'वते इस्लामी के साथ तआ़वुन कीजिये

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक दा'वते इस्लामी 107 से ज़ियादा शो'बाजात में मदनी काम कर रही है। बराए करम ! अपनी ज़कात उ़श्र और सदक़ात व ख़ैरात दा'वते इस्लामी को देने के साथ साथ अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों पर भी इन्फ़िरादी कोशिश फ़रमा कर उन के ज़कात व उ़श्र और दीगर अ़त़िय्यात **दा'वते इस्लामी के मदनी मर्कज़** पर पहुंचा कर या किसी ज़िम्मेदार इस्लामी भाई को दे कर या मदनी मर्कज़ पर फ़ोन कर के किसी इस्लामी भाई को त़लब फ़रमा कर उन्हें इनायत फ़रमा दीजिये। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ आप का सीना मदीना बनाए। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صلّى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم

फ़ैज़ाने मदीना

त्री कोनिया बग़ीचे के पास, मिरज़ापूर,

अह़मदआबाद-1, गुजरात

Mo. **84696 05565** www.dawateisalmi.net

दा 'वते इस्लामी की झल्कियां

(1) 200 ममालिक : اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ तब्लीगे़ कुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर गै़र सियासी तह़रीक "**दा 'वते इस्लामी**" ता दमे तह़रीर दुन्या के तक़रीबन 200 ममालिक में अपना पैग़ाम पहुंचा चुकी है और आगे कूच जारी है।

(2) तब्लीग़ : लाखों बे अ़मल मुसल्मान, नमाज़ी और सुन्नतों के आ़दी बन चुके हैं।

(3) मदनी क़ाफ़िले : आ़शिक़ाने रसूल के सुन्नतों की तरबियत के बे शुमार मदनी क़ाफ़िले मुल्क ब मुल्क, शह्र ब शह्र और क़रिया ब क़रिया सफ़र कर के इ़ल्मे दीन और सुन्नतों की बहारें लुटा रहे हैं और नेकी की दा'वत की धूमें मचा रहे हैं।

(4) मदनी तरबियत गाहें : मुतअ़द्दद मक़ामात पर मदनी तरबियत गाहें क़ाइम हैं जिन में दूरो नज़्दीक से इस्लामी भाई आ कर क़ियाम करते आ़शिक़ाने रसूल की सोह़बत में सुन्नतों की तरबियत पाते और फिर कुर्बो जवार में जा कर "**नेकी की दा 'वत**" के मदनी फूल महकाते हैं।

(5) मसाजिद की ता 'मीर: के लिये मजलिसे ख़ुद्दामुल मसाजिद क़ाइम है, मुतअ़द्दद मसाजिद की ता'मीरात का हर वक़्त सिल्सिला रहता है, कई शहरों में "**मदनी मर्कज़ फ़ैज़ाने मदीना**" की ता'मीरात का काम भी जारी है।

(6) आइम्मए मसाजिद : बे शुमार मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िनीन और ख़ादिमीन के मुशाहरे (तन ख़्वाहों) की अदाएगी का भी सिल्सिला है।

(7) गूंगे, बहरे और नाबीना : इन के अन्दर भी मदनी काम हो रहा है और इन के मदनी क़ाफ़िले भी सफ़र करते रहते हैं।

(8) जेलख़ाने: क़ैदियों की ता'लीमो तरबियत के लिये जेलख़ानों में भी मदनी काम की तरकीब है। कई डाकू और जराइम पेशा अफ़राद जेल

के अन्दर होने वाले मदनी कामों से मुतअस्सिर हो कर ताइब होने के बा'द रिहाई पा कर आ़शिक़ाने रसूल के साथ मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर बनने और सुन्नतों भरी ज़िन्दगी गुज़ारने की सआ़दत पा रहे हैं, आतिशीं अस्लहे़ के ज़रीए़ अन्धा धुन्द गोलियां बरसाने वाले अब सुन्नतों के मदनी फूल बरसा रहे हैं ! मुबल्लिग़ीन की इन्फ़िरादी कोशिशों के बाइ़स कुफ़्फ़ार क़ैदी भी मुशर्रफ़ ब इस्लाम हो रहे हैं।

(9) इज्तिमाई ए'तिकाफ़ : दुन्या की बे शुमार मसाजिद में माहे रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अ़शरह में इज्तिमाई ए'तिकाफ़ का एहतिमाम किया जाता है। इन में इस्लामी भाई इ़ल्मे दीन ह़ासिल करते, सुन्नतों की तरबियत पाते हैं नीज़ कई मो'तकिफ़ीन चांदरात ही से आ़शिक़ाने रसूल के साथ सुन्नतों की तरबियत के मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर बन जाते हैं।

(10) ह़ज के बा'द सब से बड़ा इज्तिमाअ़ : दुन्या के मुख़्तलिफ़ ममालिक में हज़ारों मक़ामात पर होने वाले हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआ़त के इ़लावा आ़लमी और सूबाई सत़ह़ पर भी सुन्नतों भरे इज्तिमाआ़त होते हैं। जिन में हज़ारों, लाखों आ़शिक़ाने रसूल शिर्कत करते हैं और इज्तिमाअ़ के बा'द ख़ुश नसीब इस्लामी भाई सुन्नतों की तरबियत के मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते हैं। मदीनतुल औलिया मुलतान शरीफ़ में वाक़ेअ़ सह़राए मदीना के कसीर रक़्बे पर हर साल तीन दिन का बैनल अक़्वामी सुन्नतों भरा इज्तिमाअ़ होता है। जिस में दुन्या के कई ममालिक से मदनी क़ाफ़िले शिर्कत करते हैं। **बिला शुबा येह ह़ज के बा'द मुसल्मानों का सब से बड़ा इज्तिमाअ़ होता है।** सह़राए मदीना मदीनतुल औलिया मुलतान और सह़राए मदीना बाबुल मदीना का कसीर रक़्बा **दा'वते इस्लामी** की मिल्किय्यत है।

(11) इस्लामी बहनों में मदनी इन्क़िलाब : इस्लामी बहनों के भी शरई पर्दे के साथ मुतअ़द्दद मक़ामात पर हफ़्तावार इज्तिमाअ़ात होते हैं । ला ता'दाद बे अ़मल इस्लामी बहनें बा अ़मल, नमाज़ी और मदनी बुर्क़ओ़ं की पाबन्द बन चुकी हैं । दुन्या के मुख़्तलिफ़ ममालिक में अक्सर घरों के अन्दर इन के तक़रीबन रोज़ाना हज़ारों मदारिस बनाम मद्रसतुल मदीना (बराए बालिग़ात) भी लगाए जाते हैं, एक अन्दाज़े के मुत़ाबिक़ फ़क़त (बाबुल मदीना) में इस्लामी बहनों के दो हज़ार मद्रसे तक़रीबन रोज़ाना लगते हैं जिन में इस्लामी बहनें क़ुरआने पाक, नमाज़ और सुन्नतों की मुफ़्त ता'लीम पातीं और दुआ़एं याद करती हैं ।

(12) मदनी इन्आ़मात : इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों और त़ुलबा को फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन व मुस्तह़ब्बात और अख़्लाक़िय्यात का पाबन्द बनाने और मोहलिकात (या'नी गुनाहों) से बचाने के लिये **मदनी इन्आ़मात** की सूरत में एक निज़ामे अ़मल दिया गया है । बे शुमार इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें और त़ुलबा मदनी इन्आ़मात के मुत़ाबिक़ अ़मल कर के रोज़ाना सोने से क़ब्ल "फ़िक्रे मदीना" या'नी अपने आ'माल का जाएज़ा ले कर कार्ड या पॉकिट साइज़ रिसाले में दिये गए ख़ाने पुर करते हैं ।

(13) मदनी मुज़ाकरात : बसा अवक़ात मदनी मुज़ाकरात के इज्तिमाआ़त का इन्इक़ाद भी होता है जिस में अ़क़ाइदो आ'माल, शरीअ़तो त़रीक़त तारीख़ो सीरत, त़िबाबत व रूह़ानिय्यत वग़ैरा मुख़्तलिफ़ मौज़ूआ़त पर पूछे गए सुवालात के जवाबात दिये जाते हैं । (येह जवाबात ख़ुद अमीरे अहले सुन्नत مَدَّظِلُّہُ الْعَالِی इर्शाद फ़रमाते हैं । मजलिसे मक्तबतुल मदीना)

(14) रूह़ानी इलाज और इस्तिख़ारा : दुख्यारे मुसल्मानों का ता'वीज़ात

के ज़रीए़ फ़्री सबीलिल्लाह इलाज किया जाता है नीज़ इस्तिख़ारा करने का सिल्सिला भी है। रोज़ाना हज़ारों मुसल्मान इस से मुस्तफ़ीज़ होते हैं।

(15) हुज्जाज की तरबियत : ह़ज के मौसिमे बहार में ह़ाजी केम्पों में मुबल्लिग़ीने दा'वते इस्लामी ह़ाजियों की तरबियत करते हैं। ह़ज व ज़ियारते मदीनए मुनव्वरह में रहनुमाई के लिये मदीने के मुसाफ़िरों को ह़ज की किताबें भी मुफ़्त पेश की जाती हैं।

(16) ता'लीमी इदारे : ता'लीमी इदारों मसलन दीनी मदारिस, स्कूल्ज़, कॉलिजिज़ और यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा व तुलबा को मीठे मीठे आक़ा मदीने वाले मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की सुन्नतों से रू शनास करवाने के लिये भी मदनी काम हो रहा है। बे शुमार तुलबा सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ात में शिर्कत करते हैं नीज़ मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते रहते हैं। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ मुतअ़द्दद दुन्यवी उ़लूम के दिलदादा बे अ़मल तुलबा, नमाज़ी और सुन्नतों के आ़दी हो गए।

(17,18) जामिअ़तुल मदीना : कसीर जामिआ़त बनाम **''जामिअ़तुल मदीना''** क़ाइम हैं इन के ज़रीए़ ला ता'दाद इस्लामी भाइयों को (ह़स्बे ज़रूरत क़ियाम व त़आ़म की सहूलतों के साथ) दर्से निज़ामी (या'नी आ़लिम कोर्स) और इस्लामी बहनों को आ़लिमा कोर्स की मुफ़्त ता'लीम दी जाती है। दर्से निज़ामी से फ़ारिग़ुत्तह़सील होने वालों को तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह (मुफ़्ती कोर्स) भी करवाया जाता है। अहले सुन्नत के मदारिस के मुल्क गीर इदारे तन्ज़ीमुल मदारिस की जानिब से लिये जाने वाले इम्तिह़ानात में बरसों से तक़रीबन हर साल **''दा'वते इस्लामी''** के जामिआ़त के तुलबा और त़ालिबात मुल्के मुर्शिद में नुमायां काम्याबी ह़ासिल कर के बसा अवक़ात अव्वल, दुवुम और सिवुम पोज़ीशन ह़ासिल करते हैं।

(19) मद्रसतुल मदीना : अन्दरूने व बैरूने मुल्क ह़िफ़्ज़ो नाज़िरा के ला ता'दाद मदारिस बनाम **"मद्रसतुल मदीना"** क़ाइम हैं। मुल्के मुर्शिद में ता दमे तह़रीर कमो बेश 42000 (बयालीस हज़ार) मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों को ह़िफ़्ज़ो नाज़िरा की मुफ़्त ता'लीम दी जा रही है।

(20) मद्रसतुल मदीना (बालिग़ान) : इसी त़रह़ मुख़्तलिफ़ मसाजिद वग़ैरा में उ़मूमन बा'द नमाज़े इशा हज़ारहा मद्रसतुल मदीना की तरकीब होती है जिन में इस्लामी भाई सह़ीह़ मख़ारिज से ह़ुरूफ़ की दुरुस्त अदाएगी के साथ कु़रआने करीम सीखते और दुआएं याद करते, नमाज़ें वग़ैरा दुरुस्त करते और सुन्नतों की मुफ़्त ता'लीम ह़ासिल करते हैं।

(21) शिफ़ाख़ाने : मह़दूद पैमाने पर शिफ़ाख़ाने भी क़ाइम हैं जहां बीमार तुलबा और मदनी अ़मले का मुफ़्त इ़लाज किया जाता है। ज़रूरतन दाख़िल भी करते हैं नीज़ ह़स्बे ज़रूरत बड़े अस्पतालों के ज़रीए़ भी इ़लाज की तरकीब बनाई जाती है।

(22) तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह : या'नी "मुफ़्ती कोर्स" का भी सिल्सिला है जिस में मुतअ़द्दद उ़लमाए किराम इफ़्ता की तरबियत पा रहे हैं।

(23) दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत: मुसल्मानों के शरई मसाइल के ह़ल के लिये मुतअ़द्दद "दारुल इफ़्ता" क़ाइम किये गए हैं जहां **दा'वते इस्लामी** के मुबल्लिग़ीन मुफ़्तियाने किराम, बिल मुशाफ़ा, तह़रीरी और मक्तूबात के ज़रीए़ शरई मसाइल का ह़ल पेश कर रहे हैं। अक्सर फ़तावा कम्प्यूटर पर कम्पोज़ कर के दिये जाते हैं।

(24) इन्टरनेट: इन्टरनेट की वेब साइट www.dawateislami.net के ज़रीए़ दुन्या भर में इस्लाम का पैग़ाम आ़म किया जा रहा है।

(25) ASK THE IMAM : दा'वते इस्लामी की website में ASK THE IMAM पर दुन्या भर के मुसल्मानों की त़रफ़ से पूछे जाने वाले

मसाइल का ह़ल बताया जाता है।

(26,27) मक्तबतुल मदीना और **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या :** इन दोनों इदारों के ज़रीए़ सरकारे आ'ला ह़ज़रत और दीगर उ़लमाए अहले सुन्नत की किताबें ज़ेवरे त़ब्अ़ से आरास्ता हो कर लाखों लाख की ता'दाद में अ़वाम के हाथों में पहुंच कर सुन्नतों के फूल खिला रही हैं। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ दा'वते इस्लामी ने अपना प्रेस भी क़ाइम कर लिया है। नीज़ सुन्नतों भरे बयानात और मदनी मुज़ाकरात की लाखों केसिटें भी दुन्या भर में पहुंची और पहुंच रही हैं।

(28) मजलिसे तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल : ग़ैर मोह़तात़ कुतुब छापने के सबब उम्मते मुस्लिमा में फैलने वाली गुमराही और होने वाले गुनाहे जारिया के सद्दे बाब के लिये ''मजलिसे तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल'' क़ाइम है जो मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन की कुतुब को अ़क़ाइद, कुफ़्रिय्यात, अख़्लाक़िय्यात, अ़रबी इ़बारात और फ़िक़्ही मसाइल के ह़वाले से मुलाह़ज़ा कर के सनद जारी करती है।

(29) मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ : मुबल्लिग़ीन की तरबियत के लिये मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ का एहतिमाम किया गया है मसलन 41 दिन का मदनी क़ाफ़िला कोर्स, 63 दिन का तरबियती कोर्स, गूंगे बहरों के लिये 30 दिन का तरबियती कोर्स, इमामत कोर्स और मुदर्रिस कोर्स वग़ैरहुम।

(30) फ़ैज़ाने क़ुरआनो सुन्नत कोर्स : स्कूल, कॉलिज और यूनीवर्सिटी के त़ुलबा, असातिज़ा और स्टाफ़ को ज़रूरिय्याते दीन से रू शनास करवाने के लिये अपनी नौइय्यत का मुन्फ़रिद ''फ़ैज़ाने क़ुरआनो सुन्नत कोर्स''भी शुरूअ़ किया गया है, इस्लामी बहनों में भी येह कोर्स जारी है।

مآخذ ومراجع

قرآن مجید ترجمۂ کنزالایمان	ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
صحیح البخاری	دارالکتب العلمیہ بیروت
صحیح مسلم	دار ابن حزم بیروت
مراسیل ابی داؤد مع ابی داؤد	کتب خانہ رشیدیہ دہلی
المعجم الاوسط	دارالکتب العلمیۃ
درمختار مع ردالمحتار	دارالمعرفہ بیروت
ردالمحتار	دارالمعرفہ بیروت
کنزالعمال	دارالکتب بیروت
فردوس الاخبار	دارالفکر بیروت
الفتاوی الھندیۃ	کوئٹہ
الفتاوی الخانیۃ	پشاور
البحرالرائق	کوئٹہ
النھر الفائق	ملتان
فتاوی رضویہ	رضا فاؤنڈیشن لاہور
الفتاوی المصطفویہ	شبیر برادرز لاہور
بہارِ شریعت	مکتبہ رضویہ باب المدینہ
بدائع الصنائع	دارالفکر بیروت

www.dawateislami.net

मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या की त़रफ़ से पेशकर्दा क़ाबिले मुत़ालआ़ कुतुब

शो'बए इस्ला़ही कुतुब

(01) गौ़से पाक رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ के ह़ालात
(02) तकब्बुर
(03) 40 फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
(04) बद गुमानी (05) क़ब्र में आने वाला दोस्त
(06) नूर का खिलोना
(07) आ'ला ह़ज़रत की इन्फ़िरादी कोशिशें
(08) फ़िक्रे मदीना
(09) इम्तिह़ान की तय्यारी कैसे करें ?
(10) रियाकारी
(11) क़ौमे जिन्नात और अमीरे अहले सुन्नत
(12) उ़श्र के अह़काम
(13) तौबा की रिवायात व ह़िकायात
(14) फ़ैज़ाने ज़कात
(15) अह़ादीसे मुबारका के अन्वार
(16) तरबिय्यते औलाद
(17) काम्याब त़ालिबे इ़ल्म कौन ?
(18) टीवी और मूवी
(19) त़लाक़ के आसान मसाइल
(20) मुफ़्तिये दा'वते इस्लामी
(21) फ़ैज़ाने चेहल अह़ादीस
(22) शर्हे शजरए क़ादिरिय्या
(23) नमाज़ में लुक़्मा देने के मसाइल
(24) ख़ौफ़े ख़ुदा
(25) तआ़रुफ़े अमीरे अहले सुन्नत
(26) इन्फ़िरादी कोशिश
(27) आयाते क़ुरआनी के अन्वार
(28) नेक बनने और बनाने के त़रीक़े
(29) फ़ैज़ाने एह्याउल उ़लूम
(30) ज़ियाए सदक़ात

शो'बए तख़्रीज

(1) सह़ाबए किराम رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن का इश्क़े रसूल
(2) बहारे शरीअ़त, जिल्द अव्वल (ह़िस्सए अव्वल ता शशुम)
(3) बहारे शरीअ़त, जिल्द दुवुम (ह़िस्सा 7 ता 13)
(4) उम्महातुल मुअमिनीन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ
(5) अ़जाइबुल क़ुरआन मअ़ ग़राइबुल क़ुरआन
(6) गुलदस्तए अ़क़ाइदो आ'माल
(7) बहारे शरीअ़त (सोलहवां ह़िस्सा)
(08) तह़क़ीक़ात
(09) अच्छे माह़ोल की बरकतें
(10) जन्नती ज़ेवर
(11) इ़ल्मुल क़ुरआन
(12) सवानेहे़ करबला
(13) अरबईने ह़नफ़िय्या
(14) किताबुल अ़क़ाइद
(15) मुन्तख़ब ह़दीसें
(16) इस्लामी ज़िन्दगी
(17) आईनए क़ियामत
(18 ता 24) फ़तावा अहले सुन्नत (सात ह़िस्से)
(25) ह़क़ व बात़िल का फ़र्क़
(26) बिहिश्त की कुन्जियां
(27) जहन्नम के ख़त़रात
(28) करामाते सह़ाबा
(29) अख़्लाक़े सालिह़ीन
(30) सीरते मुस्त़फ़ा
(31) आईनए इ़ब्रत
(32) बहारे शरीअ़त, जिल्द सिवुम
(33) जन्नत के त़लबगारों के लिये मदनी गुलदस्ता
(34) फ़ैज़ाने नमाज़
(35) 19 दुरूदो सलाम
(36) फ़तावा अहले सुन्नत (आठवां ह़िस्सा)
(37) फ़ैज़ाने यासीन शरीफ़ मअ़ दुआ़ए निस्फ़े शा'बानुल मुअ़ज़्ज़म

www.dawateislami.net

शो'बए तराजिमे कुतुब

(1) अल्लाह वालों की बातें (حِلْيَةُ الْاَوْلِيَاء وَطَبَقَاتُ الْاَصْفِيَاء) पहली जिल्द

(2) नेकी की दा'वत के फ़ज़ाइल (اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْف وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر)

(3) मदनी आक़ा के रोशन फ़ैसले (اَلْبَاهِر فِيْ حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِر)

(4) सायए अ़र्श किस किस को मिलेगा ? (تَمْهِيْدُ الْفَرْش فِي الْخِصَالِ الْمُوْجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرْش)

(5) नेकियों की जज़ाएं और गुनाहों की सज़ाएं (قُرَّةُ الْعُيُوْن وَمُفَرِّحُ الْقَلْبِ الْمَحْزُوْن)

(6) नसीह़तों के मदनी फूल ब वसीलए अह़ादीसे रसूल (اَلْمَوَاعِظ فِي الْاَحَادِيْثِ الْقُدْسِيَّة)

(7) जन्नत में ले जाने वाले आ'माल (اَلْمَتْجَرُ الرَّابِح فِيْ ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِح)

(8) इमामे आ'ज़म عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَم की वसिय्यतें (وَصَايَا اِمَامِ اَعْظَم عَلَيْهِ الرَّحْمَة)

(9) जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल (जिल्द अव्वल) (اَلزَّوَاجِر عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِر)

(10) जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल (जिल्द दुवुम) (اَلزَّوَاجِر عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِر)

(11) फ़ैज़ाने मज़ाराते औलिया (كَشْفُ النُّوْر عَنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْر)

(12) दुन्या से बे रग़बती और उम्मीदों की कमी (اَلزُّهْد وَقَصْرُ الْاَمَل)

(13) राहे इ़ल्म (تَعْلِيْمُ الْمُتَعَلِّم طَرِيْقَ التَّعَلُّم)

(14) उ़यूनुल ह़िकायात (मुतर्जम, ह़िस्सए अव्वल)

(15) उ़यूनुल ह़िकायात (मुतर्जम, ह़िस्सए दुवुम)

(16) एह़याउल उ़लूम का ख़ुलासा (لُبَابُ الْاِحْيَاء)

(17) ह़िकायतें और नसीह़तें (اَلرَّوْضُ الْفَائِق)

(18) अच्छे बुरे अ़मल (رِسَالَةُ الْمُذَاكَرَة)

(19) शुक्र के फ़ज़ाइल (اَلشُّكْرُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ)

(20) हुस्ने अख़्लाक़ (مَكَارِمُ الْاَخْلَاق)

(21) आंसूओं का दरिया (بَحْرُ الدُّمُوْع)

(22) आदाबे दीन (اَلْاَدَبُ فِي الدِّيْن)

(23) शाहराहे औलिया (مِنْهَاجُ الْعَارِفِيْن)

(24) बेटे को नसीह़त (اَيُّهَا الْوَلَد)

(25) اَلدَّعْوَةُ اِلَى الْفِكْر

(26) इस्लाह़े आ'माल (اَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة شَرْحُ طَرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّة)

(27) आ़शिक़ाने ह़दीस की ह़िकायात (اَلرِّحْلَة فِيْ طَلَبِ الْحَدِيْث)

(28) एह़याउल उ़लूम मुतर्जम (जिल्द अव्वल) (احياء علوم الدين)

(29) क़ूतुल कुलूब मुतर्जम (जिल्द अव्वल)

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

सुन्नत की बहारें

الحمد للہ عزوجل तब्लीगे़ कुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक **दा'वते इस्लामी** के महके महके मदनी माह़ोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर जुमे'रात मग़रिब की नमाज़ के बा'द आप के शह्‌र में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुज़ारने की मदनी इल्तिजा है। आ़शिक़ाने रसूल के **मदनी क़ाफ़िलों** में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िक्रे मदीना के ज़रीए़ **मदनी इन्आ़मात** का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली तारीख़ अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये, ان شاء اللہ عزوجل इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफ़रत करने और **ईमान की ह़िफ़ाज़त** के लिये कुढ़ने का ज़ेह्‌न बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेह्‌न बनाए कि ''**मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है।** ان شاء اللہ عزوجل'' अपनी इस्लाह़ की कोशिश के लिये **मदनी इन्आ़मात** पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये **मदनी क़ाफ़िलों** में सफ़र करना है। ان شاء اللہ عزوجل

M.R.P.
₹ 20

0133177

मक्तबतुल मदीना की मुख़्तलिफ़ शाखें

अह़मदआबाद :- फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बगीचे के पास, मिरज़ापूर, अह़मदआबाद-1, गुजरात, फ़ोन : 9327168200

देहली :- मक्तबतुल मदीना, 421, उर्दू मार्केट, मटिया महल, जामेअ़ मस्जिद, देहली - 6, फ़ोन : 011-23284560

मुम्बई :- फ़ैज़ाने मदीना, ग्राउन्ड फ़्लोर, 50 टन टन पुरा स्ट्रीट, खड़क, मुम्बई, महाराष्ट्र, फ़ोन : 09022177997

हैदरआबाद :- मक्तबतुल मदीना, मुग़ल पुरा, पानी की टंकी, हैदरआबाद, तेलंगाना, फ़ोन : (040) 24572786

E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com, Web : www.dawateislami.net